



उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय वित्त समिति की 16वीं बैठक का कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की 16वीं वित्त समिति की बैठक दिनांक 26.12.2022 को पूर्वाह्न 11.30 बजे विश्वविद्यालय सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्न आन्तरिक एवं बाह्य सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. प्रोफेसर ओमप्रकाश सिंह नेगी, अध्यक्ष
मा0 कुलपति जी, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय।
2. डॉ0 जगदीश प्रसाद, सदस्य
निदेशक उच्च शिक्षा
(प्रतिनिधि सचिव, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड शासन)
3. श्री डी0एस0 बोनाल, सदस्य
मुख्य वित्त नियंत्रक, पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय,
(प्रतिनिधि सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन)
4. प्रो0 श्रीकान्त मोहपात्रा, सदस्य
सम-कुलपति, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय,
मैदान गढ़ी, नई दिल्ली। (आन-लाइन)
5. श्रीमती आभा गर्खाल, सदस्य सचिव
वित्त नियंत्रक,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय।
6. डॉ0 रश्मि पन्त, विशेष आमंत्रित सदस्य
कुलसचिव,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय।
7. श्री विमल कुमार मिश्र, आमंत्रित सदस्य
उपकुलसचिव (वित्त)
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय।
8. श्रीमती पूनम आर्या, आमंत्रित सदस्य
सहायक कुलसचिव (वित्त)
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय।


26/12/2022
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
मुख्य वित्त नियंत्रक (वित्त)


26/12/2022
कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
मुख्य वित्त नियंत्रक (वित्त)

सर्वप्रथम अध्यक्ष, वित्त समिति (कुलपति जी) द्वारा बैठक में उपस्थित बाह्य सदस्यों प्रोफेसर जगदीश प्रसाद, श्री धर्म सिंह बोनाल एवं प्रोफेसर श्रीकान्त मोहपात्रा का स्वागत करते हुए उनका विशेष आभार व्यक्त किया। विश्वविद्यालय के शैक्षणिक क्रिया-कलापों की संक्षिप्त जानकारी सभी सदस्यों के सम्मुख रखी। तदपश्चात सदस्य सचिव वित्त समिति द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से 16वीं बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। वित्त समिति के सम्मुख कार्य सूचीनुसार प्रस्तुत-17 प्रस्तावों पर गहनता से विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित अनुमोदन पारित हुआ।

मद संख्या 16.01- वित्त समिति की, 15वीं बैठक दिनांक-26 मार्च, 2022 को सम्पन्न हुई, के कार्यवृत्त की पुष्टि।

सचिव वित्त समिति द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि वित्त समिति की 15वीं बैठक दिनांक 26 मार्च, 2022 में लिए गए निर्णयों का कार्यवृत्त समस्त सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित किया गया। प्रेषित कार्यवृत्त पर कोई सुझाव/संशोधन प्राप्त नहीं हुआ, तदनुरूप समिति द्वारा सर्वसम्मति से 15वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

मद संख्या 16.02 - वित्त समिति की, 15वीं बैठक दिनांक-26 मार्च, 2022 को सम्पन्न हुई, में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही

सचिव वित्त समिति द्वारा वित्त समिति की 15वीं बैठक में पारित निर्णयों पर कृत कार्यवाही का विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिससे समिति अवगत हुई एवं विश्वविद्यालय स्तर से बिन्दुवार कृत कार्यवाही पर अनुमोदन किया गया।


मद संख्या-16.03 वित्तीय वर्ष 2021-22 का वास्तविक आय-व्यय विवरण एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 का अनुमानित आय-व्यय।


समिति के सम्मुख वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आय-व्यय विवरण एवं वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आय-व्ययक प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा बजट विवरण वित्तीय वर्ष 2021-2022 तालिका का अवलोकन कर संतोष व्यक्त किया गया तथा आय-व्यय की पुष्टि की गयी एवं अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 16:04— वित्तीय वर्ष 2023—2024 के लिए अनुमानित बजट (माँग) प्रस्ताव पर विचार एवं अनुमोदन।


समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2023—24 के आय—व्ययक प्रस्ताव जो शासन को प्रेषित किया जाना है का अनुमोदन किया गया। शासन स्तर से वेतन, भत्ते एवं अन्य व्ययों हेतु बजट आवंटित किया जाता है, परन्तु यह राशि वेतन, भत्ते एवं अन्य व्ययों हेतु पर्याप्त नहीं होती है, तथापि शासन से यथासमय बजट अवमुक्त नहीं हो पाता है। बजट प्राप्ति में बिलम्ब व आहरण प्रक्रिया में लगने वाले समय के दृष्टिगत विश्वविद्यालय हित में स्वयं के आय स्रोतों (शुल्कादि) से प्राप्त आय से कार्मिकों के वेतनादि तथा अन्य शैक्षणिक गतिविधियों का वित्तीय भार भी वहन करना होता है। इस हेतु माँग को पूर्ण करने के लिए विश्वविद्यालय के शुल्कादि मद में उपलब्ध धनराशि को प्राप्त अनुदान की प्रत्याशा में व्यय किया जाता है। समिति द्वारा विश्वविद्यालय के आवश्यक व्यय को शासन से प्राप्त होने वाले अनुदान की प्रत्याशा में शुल्कादि मद से व्यय किये जाने व अनुदान उपरान्त समायोजन किए जाने की भी सहमति प्रदान की गयी।


समिति ने विश्वविद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर बेहतर वित्तीय नियोजन तथा शिक्षार्थियों की बढ़ती संख्या के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2023—2024 में विश्वविद्यालय के आय स्रोतों से विभिन्न मदों में कुल धनराशि ₹ 72,90,01,000 /— का बजट प्रस्ताव को औचित्यपूर्ण माना एवं वित्तीय वर्ष 2023—2024 के बजट प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत वित्त समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी साथ ही समिति द्वारा व्यय में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की अपेक्षा की गयी।


3
वित्त नियन्त्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)


26/11/22
कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)


EXPENDITURE DETAILS/BUDGET PROPOSAL 01-04-2023 TO 31-03-2024		
Sl no	Head	Proposal for 2023-2024
A	Grant from Salary (05)	198,200,000.00
	Total (A)	198,200,000.00
B	Grant from Capital Assets (55)	130,000,000.00
	Total (B)	130,000,000.00
C	Grant from Non-Salary(56)	
1	Advertisement	1,000,000.00
2	Stationery Exp.	2,000,000.00
3	Convocation / Other	2,000,000.00
4	Electricity Expenses	1,500,000.00
5	Exam Exp.	85,500,000.00
6	Fee Share to Study Centre	100,000,000.00
7	Food / Refreshment Exp.	50,000.00
8	General Maintenance	1,600,000.00
9	Guest Exp. & Allow./Student Supp. System	5,000,000.00
10	Office Expenses	6,000,000.00
11	Office Furniture & Apparatus& Material Consumption	6,000,000.00
12	Pension and Gratuity	1,000.00
13	Petrol / Diesel for Vehicle/Maintenance	2,600,000.00
14	Printing/Books Purch./Publishing (MPDD)	70,000,000.00
15	Reimbursement of Medical Expenses	1,000,000.00
16	Remuneration	5,000,000.00
17	Rent and Taxes	2,500,000.00
18	Small Construction Work& Related Work	2,000,000.00
19	Spl. Exp/UPNL/Acd. Assoc./Adm. Con./Ext. Ser Prov	50,000,000.00
20	Staff Car Purchase	2,000,000.00
21	Staff Training & Dev.	200,000.00
22	Telephone Expenses	1,000,000.00
23	Transfer Travelling Allowance	50,000.00
24	Travelling Expenses	1,500,000.00
25	Vocational Edu. & Res./Medicines	500,000.00
26	Wages	250,000.00
27	Water Expenses	100,000.00
28	Library	2,500,000.00
29	Research and Innovation	1,500,000.00
30	Legal Exp.	200,000.00
31	GPF Intrest	500,000.00
32	School/Department All Expenses (List Atatched)	41,750,000.00
33	Other Expenseses	4,800,000.00
34	NAAC and other accridiation expences	200,000.00
	Total (C)	400,801,000.00
	Grant Total (A+B+C)=	729,001,000.00



 वित्त निष्पन्नक
 उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
 हल्द्वानी (नैनीताल)


 कुलपति
 उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
 हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)


BUDGET PROPOSAL DEPARTMENT WISE 2023-24


	Name of Schools		Departments	Proposal
1	School of Humainites	1	Department of English and Foreign language	800000.00
		2	Department of Hindi and Modern Indian languages	800000.00
		3	Department of Vedic and Jyotish	800000.00
		4	Department of Indian Karmkand	500000.00
		5	Department of Music, dance and Art Performance	800000.00
		6	Department of Philosophy	100000.00
		7	Department of Sanskrit and Prakrit languages	800000.00
		8	Department of Urdu	500000.00
TOTAL				5100000.00
2	School of Social Science	1	Department of Economics	800000.00
		2	Department of History	800000.00
		3	Department of Political Science	1000000.00
		4	Department of Psychology	1000000.00
		5	Department of Public Administration	800000.00
		6	Department of Social Work	700000.00
		7	Department of Sociology	800000.00
		8	Department of Himalayan Studies	100000.00
		9	Department of Gandhi Studies and Peace	100000.00
			WOMAN STUDIES	100000.00
			ANTHOPOLOGY	100000.00
			MILITRY STUDIES	100000.00
Total				6400000.00
3	School of Management studies and	1	Department of Management Studies	800000.00
		2	Department of Commerce	800000.00
		3	Department of Human Values and ethics	100000.00
Total				1700000.00
4	School of Science	1	Department of Botany	1000000.00
		2	Department of Chemistry	1000000.00
		3	Department of Maths	800000.00
		4	Department of Physics	1000000.00
		5	Department of Zoology	1000000.00
Total				4800000.00
5	School of Computer Science	1	Department of Computer Science	1000000.00
		2	Department of Information Technology	800000.00
		3	Department of Vocational Studies	500000.00
Total				2300000.00
6	School of Tourism,	1	Department of Tourism and Hospitality	800000.00
		2	Department of Hotel Management	500000.00
TOTAL				1300000.00
7	School of Agriculture & Development	1	Department of Agriculture	100000.00
		2	Department of Horticulture	100000.00
		3	Department of Development Studies	300000.00
				500000.00


 प्रिन्स नियन्त्रक
 उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
 हरद्वारी (देवीताल)


 कुलपति
 उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
 हरद्वारी (देवीताल)

8	School of Health Science	1	Department of Ayurveda	100000.00
		2	Department of Medical Science and Health Care	100000.00
		3	Department of Yog and Natural Health	800000.00
		4	Department of Home Science	800000.00
				1800000.00
9	School of Education	1	Department of Education	800000.00
		2	Department of Teacher Education	800000.00
		3	Department of Special Education	800000.00
Total				2400000.00
10	School of Library and Information Sciences	1	Department of Library and Information Science	500000.00
				500000.00
11	School of Journalism and Media Studies	1	Department of Media & Journalism	800000.00
				800000.00
12	School of Law	1	Department of Civil Law	100000.00
		2	Department of criminal Law	100000.00
		3	Department of Human rights and International law	100000.00
Total				300000.00
13	School of Earth and Environmental Science	1	Department of Geology	100000.00
		2	Department of Forestry and Environment Science	500000.00
		3	Department of Geography and Natural Resources Management	1000000.00
		4	Department of Geographic Information Systems and Remote Sensing Applications (Geometrics)	1000000.00
				2600000.00
14	EMPC	1	EMPC	500000
				500000
15	ICT	1	ICT (UNIVERSITY ALL CENTRALISED FACILITY)	10000000
TOTAL				10000000
16	Community Radio	1	Community Radio	500000
TOTAL				500000
17	Creche	1	Creche	250000
TOTAL				250000
GRANT TOTAL				41,750,000.00


 वित्त नियंत्रक
 उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
 हल्द्वानी (नैनीताल)


 कुलपति
 उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
 हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

मद संख्या 16:05— पी0एच0डी0 उपाधि हेतु प्रवेश परीक्षा शुल्क, शोध ग्रन्थ मूल्यांकन शुल्क वृद्धि के पुनर्निर्धारण किये जाने हेतु परीक्षा समिति की संस्तुति पर विचार।

विश्वविद्यालय पी0एच0डी0 प्रवेश परीक्षार्थियों की संख्या में वृद्धि होने से प्रवेश परीक्षा आयोजन का व्ययभार बढ़ जाने के फलस्वरूप परीक्षा समिति द्वारा प्रवेश परीक्षा आवेदन शुल्क में वर्तमान प्रवेश परीक्षा आवेदन शुल्क ₹ 1000/- में बढ़ोत्तरी कर धनराशि ₹ 2500/- निर्धारित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी पर वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।


उपरोक्त के अतिरिक्त परीक्षा समिति द्वारा शोध ग्रन्थ मूल्यांकन राशि ₹ 5000/- से तीन गुना बढ़ाकर ₹ 15000/- किये जाने की संस्तुति प्रस्ताव को वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत असहमति व्यक्त करते हुए शोध ग्रन्थ मूल्यांकन धनराशि ₹ 5000/- को केवल दोगुना करते हुए धनराशि ₹ 10,000/- किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी।


मद संख्या 16:06— विज्ञान विद्याशाखा के अन्तर्गत समस्त विभागों हेतु प्रयोगशाला उपकरण एवं सामग्री (कैमिकल इत्यादि) क्रय किये जाने के संबंध में गठित समिति द्वारा तात्कालिकता के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2022-2023 हेतु संस्तुत बजट समिति के सम्मुख विचारार्थ/अनुमोदनार्थ।

विज्ञान विद्याशाखा के अन्तर्गत समस्त विभागों हेतु प्रयोगशाला उपकरण एवं सामग्री (कैमिकल इत्यादि) हेतु बजट प्राविधान एवं क्रय किये जाने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 29.11.2022 की संस्तुतियों के क्रम में मा0 कुलपति जी द्वारा विज्ञान विद्याशाखा के अन्तर्गत प्रत्येक विभागीय प्रयोगशाला हेतु वित्तीय वर्ष 2022-2023 हेतु ₹ 5.00 लाख के अन्तर्गत उपकरण एवं कैमिकल इत्यादि क्रय स्वीकृति पर वित्त समिति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या 16:07— शोध एवं नवाचार निदेशालय के शोध कार्य प्रस्ताव, वित्तीय वर्ष 2022-2023 हेतु बजट प्राविधान की कार्योत्तर स्वीकृति।

समिति द्वारा विश्वविद्यालय के नैक प्रत्यायन के दृष्टिगत एवं पठन पाठन को प्रभावशाली बनाए जाने के विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना करते हुए शिक्षार्थियों एवं शोध कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2022-2023 के मध्याह्न में माननीय कुलपति जी द्वारा प्राविधानित बजट धनराशि ₹ 15.00 लाख की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी साथ ही वित्तीय वर्ष 2023-2024 में शोध नवाचार एवं प्रसार मद के अन्तर्गत बजट धनराशि प्राविधान किए जाने से भी अवलोकित हुई।



वित्त नियन्त्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
इश्यानी (नैनीताल)



कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

मद संख्या 16:08— परीक्षा समिति की 16वीं बैठक दिनांक 08.12.2022, परीक्षा समिति के 13वीं एवं 14वीं बैठक के कतिपय (वित्तीय उपाशय) बिन्दुओं पर विचार।

परीक्षा समिति की 16वीं बैठक दिनांक 08.12.2022 में वित्तीय उपाशय निहित निम्नलिखित प्रस्ताव समिति के विचारार्थ एवं अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है, जिन पर परीक्षा समिति की संस्तुतियों में वित्त समिति की संस्तुति एवं अनुमोदन निम्न तालिका में बिन्दुवार इंगित है—

क्र. सं.	विचार हेतु प्रेषित बिन्दु	परीक्षा समिति की संस्तुति एवं वित्तीय अभिमत	वित्त समिति की संस्तुति
1.	परीक्षा विभाग को तत्काल सामग्री की आवश्यकता होने पर प्रतिमाह आनुषांगिक राशि ₹ 15,000/- दिये जाने पर विचार।	परीक्षाओं के दौरान व परीक्षा के अन्य कार्य तत्काल कराये जाने हेतु परीक्षा विभाग को कोई धनराशि देय नहीं है। परीक्षा कार्य व्यवस्था के संचालन व समस्याओं का तत्काल समाधान आवश्यक है। अतः परीक्षा समिति द्वारा परीक्षा विभाग को प्रतिमाह आनुषांगिक राशि ₹ 15000/- दिये जाने की संस्तुति की गयी है, जिसका समायोजन विभाग द्वारा माह की समाप्ति पर किया जाना होगा। वित्तीय अभिमत— परीक्षा अनुभाग के संचालन हेतु सभी प्रकार की सुविधायें एवं आवश्यकताएं पूरी की जा रही हैं। पृथक से प्रतिमाह ₹ 15000 का अग्रदान अधिक प्रतीत होता है।	वित्त समिति द्वारा परीक्षा अनुभाग को प्रतिमाह आनुषांगिक राशि ₹ 15,000/- दिये जाने की परीक्षा समिति की संस्तुति पर वित्त समिति इस निमित्त संज्ञानित हुई कि परीक्षा कार्य हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर सभी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करायी जाती हैं साथ ही परीक्षा काल के दौरान संलिप्त कार्मिकों हेतु सूक्ष्म जलपान व्यवस्था इत्यादि हेतु ₹ 10,000/- मासिक सीमा तक व्यय अनुमोदित है। अतः वित्त समिति उक्त प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुई। अपितु यह व्यवस्था की गयी कि तदनुरूप परीक्षा अनुभाग की आवश्यकतानुसार धनराशि व्यय हेतु वित्त नियंत्रक की संस्तुति पर माननीय कुलपति जी को निर्णय लिये जाने हेतु अधिकृत किया।


वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हरद्वारी (मिनीताल)


कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हरद्वारी (मिनीताल)

<p>2.</p>	<p>विश्वविद्यालय की वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षाओं में परीक्षा कार्य हेतु संलग्न कार्मिकों को देय प्रोत्साहन राशि के संबंध में विचार में।</p>	<p>विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के दौरान तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को परीक्षा कार्य हेतु परीक्षा केन्द्रों में भेजा जाता है इस हेतु ₹ 500/- प्रति व्यक्ति की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। कोविड-19 संक्रमण काल के दौरान विश्वविद्यालय स्तर पर यह निर्णय लिया गया कि परीक्षा केन्द्रों में परीक्षा कार्यों से भेजे जाने वाले कार्मिकों को ₹ 1000/-की प्रोत्साहन राशि देय होगी एवं यह व्यवस्था कोविड-19 नियम लागू होने तक ही मान्य होगी।</p> <p>विश्वविद्यालय की आगामी परीक्षाएं माह फरवरी-2023 में प्रस्तावित है परीक्षा केन्द्रों में रहने व बढ़ती महंगाई को देखते हुए उक्त में कार्मिकों के रहने व भोजन व्यवस्था में कठिनाई होती है। अतः प्रोत्साहन राशि ₹ 500/- को बढ़ाकर ₹ 1000/- किये जाने की संस्तुति परीक्षा समिति द्वारा की गयी है।</p> <p>वित्तीय अभिमत- परीक्षा कार्यों में संलग्न कार्मिकों को वाहन सुविधा विश्वविद्यालय से उपलब्ध करायी जाती है नियमानुसार दैनिक भत्ता स्वीकृत किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता ₹0 500 से बढ़ाकर ₹0 1000 प्रतिदिन किया जाना आय के साधनों के सापेक्ष अधिक है प्रस्ताव समिति के सम्मुख विचारार्थ ।</p>	<p>वित्त समिति द्वारा गहनता से विचार किया गया कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत एवं संभावित परिस्थितियों को देखते हुए परीक्षा समिति की संस्तुति प्रोत्साहन धनराशि ₹0 1000 को औचित्यपूर्ण मानते हुए उक्त व्यवस्था यथावत् रखी गयी।</p>
<p>3.</p>	<p>परीक्षा विभाग में संलग्न समूह (ग) एवं (घ) कार्मिकों को दिये जाने वाले विशेष मानदेय के अतिरिक्त दिये जाने वाले प्रोत्साहन राशि में बढ़ोत्तरी किये जाने पर विचार।</p>	<p>परीक्षा विभाग के कार्मिकों द्वारा अवकाश दिवस में कार्य करने व अतिरिक्त कार्य करने में संलग्न समूह (ग) एवं (घ) कार्मिकों को विशेष मानदेय के अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि ₹ 2500/- भुगतान की जाती है। कार्मिकों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर ₹ 5000/- किये जाने के संबंध में परीक्षा समिति द्वारा संस्तुति की गयी है। प्रकरण वित्त समिति के समक्ष विचारणीय प्रस्तुत है।</p> <p>वित्तीय अभिमत- चूंकि तदविषयक कार्मिकों को उक्त अवकाश दिवसों में किये गये कार्य के सापेक्ष प्रतिकर अवकाश दिया जाता है एवं अतिरिक्त कार्य के लिए पुनः प्रोत्साहन राशि बढ़ाये जाने का आधार व औचित्य स्पष्ट किया जाना होगा। वित्त का कथन है कि प्रोत्साहन राशि बढ़ाये जाने से अन्य कार्मिकों में</p>	<p>वित्त समिति प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत परीक्षा काल में कार्मिकों को दी जाने वाली अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि ₹ 2500 से बढ़ाकर ₹ 3000 किये जाने के वित्तीय अभिमत को औचित्यपूर्ण मानते हुए इस प्रतिबंध के साथ कि परीक्षा नियंत्रक द्वारा तदविषयक कार्मिकों द्वारा विश्वविद्यालय कार्य समयावधि के अतिरिक्त</p>


		असंतोष की भावना पैदा हो सकती है। प्रोत्साहन राशि रू0 2500 से बढ़ाकर रू0 5000 किया जाना आय के साधनों के सापेक्ष अधिक है प्रस्ताव समिति के सम्मुख विचारार्थ ।	उपस्थित होकर कार्य किये जाने की पुष्टि/सत्यापन उपरांत ही प्रोत्साहन राशि दिए जाने की संस्तुति करेंगे, एवं उक्त दरों आगामी तीन वर्ष उपरांत ही विचार किये जाने पर सहमत हुई।
4.	परीक्षाओं के दौरान परीक्षा कार्य हेतु संलग्न किये जाने वाले शिक्षक (AC) को पारिश्रमिक राशि भुगतान किये जाने के संबंध में	<p>परीक्षा कार्य के सफल संचालन हेतु परीक्षा अनुभाग में निम्न स्थायी शिक्षक व अस्थायी शिक्षकों को संबद्ध किया जाता है।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. उप परीक्षा नियंत्रक कुल 02 (स्थायी शिक्षक) 2. सहायक परीक्षा नियंत्रक हेतु पूर्व व्यवस्थानुसार ही कुल 03 सहायक परीक्षा नियंत्रक (स्थायी शिक्षक) ही नियुक्त किये जायेंगे। 3. 02 परीक्षा सहायक (अस्थायी शिक्षक) संलग्न होंगे। इस कार्य हेतु ₹ 5000/- प्रति सदस्य देय होगा जिनका कार्यकाल को कुलपति जी द्वारा निर्धारित किया जाएगा। 4. पूर्व सहायक परीक्षा नियंत्रक डा0 देबकी सिरोला को मानदेय की आधी राशि ₹ 5000/- भुगतान किये जाने पर समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई। 5. परीक्षा में संलग्न सदस्यों उप परीक्षा नियंत्रक, सहायक परीक्षा नियंत्रक एवं परीक्षा सहायक यदि परीक्षाओं के मध्य पद छोड़कर जाते हैं तो उन्हें मानदेय की आधी धनराशि ही देय होगी। <p>प्रस्ताव में कार्मिकों की संख्या में वृद्धि के कारण वित्तीय उपाशय निहित है अतः प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।</p>	वित्त समिति परीक्षा समिति की संस्तुति एवं वित्तीय अभिमत से भी अवलोकित हुई एवं सम्यक विचारोपरांत परीक्षा समिति की संस्तुतियों पर अनुमोदन प्रदान किया गया। इस निमित्त मानदेय व्ययभार परीक्षा मद में प्राप्त आय के सापेक्ष ही दिया जाय।


परीक्षा समिति की 14वीं बैठक के कार्यवृत्त से वित्तीय उपाशय निहित प्राप्त प्रस्ताव (14.04)

5.	परीक्षाओं के उपरान्त दिए जाने वाले मानदेय में सहायक परीक्षा नियंत्रक एवं उप नियंत्रक के भुगतान के संबंध में विचार।	परीक्षाओं के कार्य सम्पादन हेतु जिन अध्यापकों को परीक्षा अनुभाग में उप/सहायक परीक्षा नियंत्रक नामित किया गया है उन सभी को निर्धारित मानदेय राशि पर परीक्षा का मानदेय भुगतान होगा। परीक्षा समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की गयी है। वित्तीय अभिमत- परीक्षा समिति के उक्त प्रकार के प्रस्तावों को यथासमय वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा। परीक्षा नियंत्रक के प्रस्ताव पर उप परीक्षा नियंत्रक को सहायक परीक्षा नियंत्रक की भांति ₹ 10000/- का मानदेय सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित कर प्रदान किया गया है। अतः इस भुगतान पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।	वित्त समिति द्वारा गहनता से परीक्षा समिति की संस्तुति पर विचार कर उप परीक्षा नियंत्रक को सहायक परीक्षा नियंत्रक के समान परीक्षा का विशेष मानदेय भुगतान पर कार्योत्तर स्वीकृत एवं अनुमोदन प्रदान किया गया एवं यह व्यवस्था दी गयी कि भविष्य में वित्तीय उपाशय निहित प्रकरणों पर वित्त समिति द्वारा पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यकीय होगा।
----	--	--	--

परीक्षा समिति की 13वीं बैठक के कार्यवृत्त से वित्तीय उपाशय निहित प्राप्त प्रस्ताव (13.05)

6.	विश्वविद्यालय की आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा में रिकार्डिंग व वीडियोग्राफी कार्य करने वाले कार्मिक	विश्वविद्यालय की आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा में रिकार्डिंग व वीडियोग्राफी में संलग्न कार्मिकों को ₹ 600/- प्रतिदिन मानदेय दिये जाने की संस्तुति परीक्षा समिति द्वारा की गयी है। वित्तीय अभिमत- प्रस्ताव में उल्लेखित कार्मिकों को ₹ 600/- सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित कर प्रदान किया गया है। अतः प्रस्ताव पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें। परन्तु उपरोक्त आशय के वित्तीय उपाशय निहित प्रस्तावों को भविष्य में वित्त समिति के अनुमोदनोपरांत ही प्रदान किया जाना होगा।	वित्त समिति प्रस्ताव एवं वित्तीय अभिमत से अवलोकित हुई एवं मानदेय भुगतान पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया तथा परीक्षा समिति द्वारा संस्तुत धनराशि ₹ 600 प्रतिदिन मानदेय में आंशिक संशोधन करते हुए धनराशि ₹ 800/- प्रतिदिन मानदेय भुगतान की संस्तुति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गयी कि तीन वर्ष से पूर्व संस्तुत दरों की बढ़ोत्तरी पर विचार नहीं किया जायेगा। समिति द्वारा इस निमित्त वित्तीय उपाशय निहित प्रस्तावों को भविष्य में वित्त समिति के अनुमोदनोपरांत ही प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।
7.	विश्वविद्यालय की आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा	जिन पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश प्रदान किये जाते हैं उनकी प्रवेश परीक्षा के आयोजन हेतु परीक्षा केन्द्रों व परीक्षा कार्य में संलग्न विश्वविद्यालय कार्मिकों को दिये जाने वाली दरों में वृद्धि की जानी है। वर्ष 2017 से निर्धारित दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। निर्धारित मानकों व	


वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)


कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

से संबंधित परीक्षा केन्द्रों के निर्धारित मानदेय भुगतान दरों में वृद्धि किये जाने के संबंध में विचार।	भुगतान दरों में परीक्षा समिति द्वारा निम्नानुसार वृद्धि की गयी – परीक्षा सम्पन्न कराये जाने हेतु परीक्षा केन्द्र हेतु –				
	क्र. सं.	कार्य का नाम	पूर्व में अनुमोदित दरें	परीक्षा समिति की प्रस्तावित/संस्तुत दरें	वित्त समिति द्वारा स्वीकृत दरें
	1.	वरिष्ठ केन्द्र अधीक्षक	₹ 1500/- प्रति	₹ 2000/- प्रति पाली	₹ 2100/- प्रति पाली
	2.	सहा परीक्षक	₹ 1500/- प्रति	₹ 2000/- प्रति पाली	₹ 1800/- प्रति पाली
	3.	पर्यवेक्षक	₹ 2000/-	₹ 2500/- प्रति पाली	₹ 2100/- प्रति पाली
	4.	कक्ष निरीक्षक	₹ 1500/- प्रति	₹ 2000/- प्रति पाली	₹ 1600/- प्रति पाली
	5.	तृतीय श्रेणी कार्मिक	₹ 750/- प्रति	₹ 1000/- प्रति पाली	₹ 900/- प्रति पाली
	6.	चतुर्थ श्रेणी कार्मिक	₹ 300/- प्रति	₹ 500/- प्रति पाली	₹ 700/- प्रति पाली
7.	बैठने की व्यवस्था/कक्ष किराया	₹ 03/- प्रति छात्र बैठने की व्यवस्था तथा ₹ 05 कक्ष किराया (फर्नीचर विद्युत हेतु प्रति छात्र न्यूनतम ₹ 300/-	यथावत	यथावत	
विश्वविद्यालय के कार्मिकों हेतु					
क्र. सं.	कार्य का नाम	पूर्व में अनुमोदित दरें	परीक्षा समिति की प्रस्तावित/संस्तुत दरें	वित्त समिति द्वारा स्वीकृत दरें	
1.	हल्लानी तथा देहरादून के परीक्षा केन्द्रों हेतु उड़नदस्तों के सदस्य	₹1000/- प्रति	₹1500/- प्रतिदिन (निर्धारित किये जाने वाले परीक्षा केन्द्रों पर लागू होगा)	₹1600/- प्रतिदिन (निर्धारित किये जाने वाले परीक्षा केन्द्रों पर लागू होगा)	
2.	केन्द्र पर्यवेक्षक (01 सदस्य)	₹ 2000/- प्रति	₹ 2500/- प्रति दिन	₹ 2100/- प्रति दिन	
3.	परीक्षा संचालन के लिए गठित सहायक समिति सदस्य (अधिकतम 04 सदस्य)	₹ 1500/-	₹ 2000/- प्रति दिन प्रति सदस्य	₹ 1600/- प्रति दिन प्रति सदस्य	
4.	तृतीय श्रेणी कार्मिक (अधिकतम 04 सदस्य)	₹ 750/- प्रति	₹ 1000/- प्रतिदिन प्रति सदस्य	₹800/- प्रतिदिन प्रति सदस्य	
5.	चतुर्थ श्रेणी कार्मिक (02सदस्य)	₹ 300/- प्रति	₹500/- प्रति दिन प्रति सदस्य	₹700/- प्रति दिन प्रति सदस्य	
6.	वाहन चालक (आवश्यकतानुसार)	₹400/- प्रति	₹ 700/- प्रति दिन प्रति सदस्य	₹ 700/- प्रति दिन प्रति सदस्य	

उक्त के अतिरिक्त समिति सदस्य प्रोफेसर श्रीकान्त मोहपात्रा द्वारा सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय को Self sustainable and self reliant बनाया जाना चाहिए, व्यय किये जाने हेतु आय के साधनों की निरन्तर समीक्षा होनी चाहिए। इस विचार के क्रियान्वयन हेतु सम्यक विचारोपरांत यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त संशोधित दरें तभी लागू होंगी जबकि प्रवेश परीक्षा शुल्क में आनुपातिक रूप से न्यूनतम 10 से 15 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी तथा यह शुल्क संरचना आगामी वर्ष से मा0 कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त ही लागू होंगी।

मद संख्या 16:09 Induction कार्यक्रम/राष्ट्रीय सेमिनार/कार्यशाला/संगोष्ठी आदि में विशेषज्ञों हेतु मानदेय एवं यात्रा व्यय संबंधी दरों पर नीति निर्धारित किये जाने पर विचार।

वित्त समिति द्वारा प्रकरण पर गहनता से विचार किया गया एवं समिति के सदस्य प्रोफेसर मोहपात्रा द्वारा विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों एवं क्रियाकलापों के अन्तर्गत Induction कार्यक्रम/राष्ट्रीय सेमिनार/कार्यशाला/संगोष्ठी आदि में आमंत्रित बाह्य व्याख्यानदाताओं जो कि अतिविशिष्ट/प्रसिद्ध विषय विशेषज्ञों की श्रेणी में पृथक-पृथक हैं को एक ही श्रेणी में (Resource Persons) रिसोर्स पर्सन्स संबोधित किये जाने का सुझाव दिया गया, जिसमें सभी सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए Induction कार्यक्रम/राष्ट्रीय सेमिनार/कार्यशाला/संगोष्ठी आदि हेतु वित्त समिति की 7वीं बैठक दिनांक 10 अप्रैल, 2014 में पारित मानदेय दरों में संशोधन करते हुए धनराशि समान रूप से ₹ 1500/- प्रति व्याख्यान (प्रतिदिन) एवं अधिकतम ₹ 2500/- (प्रतिदिन) दरों पर अनुमोदन प्रदान किया गया। यह भी सहमति बनी कि रिसोर्स पर्सन की संख्या को सीमित रखा जाए व माननीय कुलपति जी से आमंत्रण हेतु पूर्वानुमोदन अवश्य प्राप्त किया जाये।

विश्वविद्यालय कार्यों से स्वयं वाहन यात्राओं की प्रतिपूर्ति हेतु माननीय कुलपति जी से पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा, प्रतिपूर्ति स्वयं के वाहन से यात्रा करने पर ही अनुमन्य होगी। यात्राकर्ता द्वारा अपना वाहन पंजीकरण एवं चालक लाइसेंस की छायाप्रति भी देयकों के साथ संलग्न की जानी अनिवार्य होगी। टैक्सी वाहन से शेयरिंग (Sharing) यात्रा व्यय प्रतिपूर्ति में नियमानुसार वित्त समिति द्वारा अनुमोदित टैक्सी वाहन दर ₹ 13.00 का 1/4 की दर से प्रतिपूर्ति अनुमन्य किया जाए। स्व-वाहन सुविधा यात्रा समय-समय पर जारी राज्य सरकार के यात्रा नियमों के अन्तर्गत एवं विश्वविद्यालय के नियमित अधिकारियों एवं नियमित शैक्षणिक वर्ग (एकेडमिक लेवल-10 एवं इससे उच्च) हेतु ही देय होगा।



वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

13



कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

मद संख्या 16:10 विश्वविद्यालय में तात्कालिक कार्यों के दृष्टिगत विभिन्न श्रेणी के वाह्य श्रमिकों द्वारा किये गये कार्य के सापेक्ष पारिश्रमिक का निर्धारण।


विश्वविद्यालय में यथा आवश्यकता विभिन्न कार्यों के सम्पादन हेतु दैनिक मजदूरी के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के दक्ष बाह्य कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल श्रमिकों हेतु विश्वविद्यालय में पृथक से दरें पारित न होने एवं पी.डब्ल्यू.डी., उपनल, श्रम विभाग की दरें बाजार दरों से अत्यन्त न्यून होने के फलस्वरूप कार्य सम्पादन में कठिनाई होने सम्बन्धी प्रस्ताव में समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत इस सहमति बनी कि माननीय कुलपति जी द्वारा इस निमित्त एक समिति का गठन किया जायेगा, जो पी.डब्ल्यू.डी., उपनल, श्रम विभाग सहित विभिन्न विभागों से दैनिक पारिश्रमिक दरों को प्राप्त कर, बाजार सर्वेक्षण के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन कर संस्तुति माननीय कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत करेगी।


मद संख्या 16:11 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 एवं 2018-2019 के बिन्दु संख्या-06 पर विभागीय लेखा परीक्षा समिति की संस्तुति पर विचार।

सम्परीक्षा काल के दौरान राजकीय सम्परीक्षकों द्वारा विश्वविद्यालय के जिन अधिकारियों को वाहन आंवटित किया गया था। उनके वेतन बिलों से वाहन उपयोग सम्बन्धी कटौती न किये जाने के संबंध में प्राप्त आपत्ति/लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में विभागीय लेखा परीक्षा समिति (विश्वविद्यालय स्तर पर) प्रतिवेदन बिन्दु 06 को समीक्षा हेतु वित्त समिति को अग्रेषित की गयी संस्तुति पर वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत ऑडिट दल द्वारा निम्नवत आंगणित की गयी धनराशि एवं दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से नवम्बर, 2020 तक की वसूली किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी।

2017-2018 एवं 2018-2019

नाम/पदनाम	वाहन संख्या	अवधि	कुल कटौती
1-श्रीमती आभा गर्खाल/वित्त नियंत्रक	वाहन संख्या यू0के0 4 ^{जी} 0ए0 00092	दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2019 तक	₹ 45000
2- प्रो0 पी0डी0 पन्त/परीक्षा नियंत्रक	वाहन संख्या यू0के0 4 ^{जी} 0ए0 0353	दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2019 तक	₹ 44800
3- प्रो0 आर0सी0 मिश्रा, रजिस्ट्रार	वाहन संख्या यू0के0 4 ^{जी} 0ए0 0330	दिनांक 01.04.2017 से 16.09.2019 तक	₹ 31867
4- श्री भरत सिंह, रजिस्ट्रार	-----	दिनांक 17.09.2018 से 31.03.2019 तक	₹ 12933
योग			₹ 102733


 वित्त नियंत्रक
 उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
 हल्द्वानी (नैनीताल)


 कुलपति
 उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
 हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

वर्ष 2019-2020

क्र. स.	नाम/पदनाम	वाहन सं०	अवधि	कुल कटौती
1.	श्रीमती आभा गर्खाल, वित्त नियंत्रक	यू०के० ०४जी०ए० ०००९२	०१.०४.१९ से ३१.०३.२० तक	₹ २४०००
२.	श्री पी०डी० पन्त परीक्षा नियंत्रक	यू०के० ०४जी०ए० ३५३	०१.०४.१९ से ३१.०३.२० तक	₹ २४०००
३.	श्री भरत सिंह, रजिस्ट्रार	यू०के० ०४जी०ए० ३३०	०१.०४.१९ से ३१.०३.२० तक	₹ २४०००
	कुल योग	—	—	₹ ७२०००

मद संख्या 16:12 विश्वविद्यालय की भवन निर्माण समिति की 15वीं बैठक दिनांक 22.12.2022 के कार्यवृत्त में वित्तीय उपाशय निहित बिन्दुओं पर विचार।

विश्वविद्यालय की भवन निर्माण समिति की 15वीं बैठक दिनांक 22.12.2022 का कार्यवृत्त वित्त समिति को अवलोकन कराया गया। वित्तीय उपाशय वाले बिन्दुओं पर वित्त समिति, भवन निर्माण की संस्तुतियों से सहमत हुई।

मद संख्या 16:13 वित्तीय वर्ष 2020-2021 एवं 2021-2022 के वार्षिक लेखों का अवलोकन एवं अनुमोदन।

समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-2021 एवं 2021-2022 के वार्षिक लेखे अवलोकन कर अनुमोदित किए गए।

मद संख्या 16:14 विश्वविद्यालय में नियोजित छः कार्मिकों के मानदेय में वृद्धि एवं 89 दिन बाद सेवा व्यवधान हटाये जाने संबंधी प्रत्यावेदन पर विचार।

विश्वविद्यालय में नियत मानदेय के आधार पर विश्वविद्यालय स्थापना से नियोजित छः कार्मिकों द्वारा स्वयं के मानदेय वृद्धि एवं 89 दिनों के पश्चात उनकी सेवा में दिए जाने वाले व्यवधान की



वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

15



कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

व्यवस्था को समाप्त करने का प्रत्यावेदन प्रस्ताव पर समिति द्वारा संज्ञान लिया गया कि उक्त प्रकरण नीतिगत होने एवं शासन स्तर पर विचाराधीन होने के कारण माननीय कुलपति जी को अधिकृत कर एवं इस निमित्त सुझाव दिया गया कि कुलपति जी द्वारा विशेष रियायत देते हुए कुलसचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा, समिति उक्त कार्मिकों के मानदेय वृद्धि हेतु श्रेणी परिवर्तन में विचार करेगी।

मद संख्या 16:15 विश्वविद्यालय में नैक प्रत्यायन के दृष्टिगत कराये गये अति आवश्यक कार्यों पर किए गए व्यय एवं अति आवश्यक अधिप्राप्ति पर किए गए व्यय के संबंध में सूचना।


समिति द्वारा माह अक्टूबर, 2022 में विश्वविद्यालय का नैक प्रत्यायन के दौरान किए गए व्यय विवरण का अवलोकन कर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी। समिति द्वारा आगामी बजट में नैक मद बनाये जाने का व बजट प्राविधान किये जाने का सुझाव दिया गया।

मद संख्या 16:16 विश्वविद्यालय में निर्माणाधीन परियोजनाओं के अन्तर्गत अति आवश्यक कार्यों की कार्योत्तर स्वीकृति।

विश्वविद्यालय में वर्तमान में विभिन्न आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। विस्तृत परियोजना में कतिपय कार्य योजना में आच्छादित न होने के कारण ऐसे अन्य कार्य जो अति महत्वपूर्ण थे कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन एवं विपणन बोर्ड को निम्न तालिका में वर्णित कार्य कराये जाने हेतु आदेश दिया गया है का विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विवरण निम्नानुसार है-

क्रम सं	कार्य का नाम	आगणन की धनराशि
01	कुलपति आवास में गार्ड रूम, जेनरेटर रूम/शैड एवं शौचालय का निर्माण।	9.20 लाख
02	कुलपति आवास हेतु बाउन्ड्रीवॉल का निर्माण	9.93 लाख
03	अतिथि गृह में विद्युतीकरण का कार्य	9.96 लाख
04	कुलपति आवास में स्थल विकास का कार्य	9.95 लाख
05	कुलपति आवास के अन्तर्गत गार्ड रूम, बाउन्ड्रीवॉल हेतु विद्युतीकरण एवं छतों की वाटर प्रूफिंग का कार्य।	9.76 लाख
योग		₹ 48.80 लाख

समिति द्वारा उक्त विवरण का अवलोकन कर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।


 पित्त मिश्र
 उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
 हल्द्वानी (नैनीताल)


 कुलपति
 उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
 हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

मद संख्या 16:17 कुलपति जी की अनुमति से अन्य प्रस्ताव


(क) वित्त समिति की 12वीं बैठक के प्रस्ताव सं० 12.08 (ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिये जा रहे विशेष मानदेय पर पुनर्विचार।

वित्त समिति की 12वीं बैठक के प्रस्ताव सं० 12.08 (ग) में परीक्षा नियंत्रक, कुलसचिव, वित्त नियंत्रक, सहायक परीक्षा नियंत्रक, उपकुलसचिव, सहायक कुलसचिव, जनसंपर्क अधिकारी एवं समूह 'ग' व 'घ' के कर्मचारियों को मानदेय दिये जाने का अनुमोदन तथा प्रत्येक तीन वर्ष में मानदेय वृद्धि का सुझाव दिया गया था। 15वीं वित्त समिति में कार्मिकों का मानदेय वृद्धि अनुमोदित किया गया है, जबकि अधिकारियों के मानदेय में कोई वृद्धि नहीं हुई। वित्त समिति द्वारा अधिकारियों एवं कार्मिकों की मानदेय दरों पर सम्यक विचारोपरांत निम्नानुसार अनुमोदित किया गया।

कार्मिकों की श्रेणी	12वीं वित्त समिति द्वारा अनुमोदित दरें	15वीं वित्त समिति द्वारा अनुमोदित दरें	16वीं वित्त समिति संस्तुत दरें
परीक्षा नियंत्रक	₹ 15000	₹ 15000	यथावत
कुलसचिव/वित्त नियंत्रक	₹ 7500	₹ 7500	₹ 11000
सहायक परीक्षा नियंत्रक/उप परीक्षा नियंत्रक	₹ 10000	₹ 10000	उप परीक्षा नियंत्रक सहित दरें यथावत
उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव/जनसंपर्क अधिकारी आदि	₹ 7000	₹ 7000	₹ 8000
समूह 'ग'	₹ 6000	₹ 7000	₹ 7200
समूह 'घ'	₹ 5000	₹ 6000	₹ 6500

(ख) विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक (ए.सी.) के मानदेय वृद्धि पर विचार।

विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है जिस कारण विश्वविद्यालय में एकेडमिक गतिविधियां एवं क्रियाकलापों का बढ़ना स्वाभाविक है। विश्वविद्यालय नियमानुसार शैक्षणिक क्रियाकलापों के सुचारु संचालन हेतु सहायक प्राध्यापक (ए.सी.) का नियोजन छः माह या अनधिक अवधि हेतु किया जाता है। वर्तमान में सहायक प्राध्यापक (ए.सी.) को संहत राशि ₹ 25,000/- दिया जा रहा है। यह भी संज्ञान में लाना है कि पूर्व में नियोजित सहायक प्राध्यापक (ए.सी.) को ₹ 35,000/- दिया जा रहा है तथा राजकीय महाविद्यालयों एवं कुमाँऊ विश्वविद्यालय में भी संविदा शिक्षकों को ₹ 35,000/- मानदेय प्रतिमाह दिया जा रहा है। वित्त समिति की 14वीं बैठक में केवल यू०जी०सी० की सेवा-शर्तों एवं अर्हताओं को पूर्ण करने वाले सहायक प्राध्यापक (ए.सी.) एवं appraisal


 वित्त नियंत्रक
 उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
 हल्द्वानी (नैनीताल)


 कुलपति
 उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
 हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

रिपोर्ट संतोषजनक होने के आधार पर एक वर्ष पश्चात नियोजन में धनराशि ₹ 35,000/- दिये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।


चूंकि विश्वविद्यालय कार्यपरिषद के द्वारा यह निर्देश प्राप्त है कि सीका के मूल्यांकन के उपरांत ही उक्त सहायक प्राध्यापकों की मानदेय वृद्धि होगी। कई सहायक प्राध्यापकों (ए.सी.) का नियोजन अवधि एक वर्ष से अधिक हो गया है। मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु प्राप्त हुआ था किन्तु सीका से मूल्यांकन रिपोर्ट समय पर प्राप्त न होने के कारण पत्रावली सीका को प्रेषित की गयी है, प्रकरण प्रक्रियाधीन है। सीका से सहायक प्राध्यापकों (ए.सी.) के मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मानदेय वृद्धि राशि दिये जाने हेतु कुलपति जी को अधिकृत किये जाने के प्रस्ताव पर समिति सहमत हुई तथा सीका को 15 दिन के भीतर मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा तदुपरांत कुलपति को उक्त प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करने हेतु अधिकृत किया।


(ग) विश्वविद्यालय में वाहन चालकों को वर्दी के स्थान पर वर्दी भत्ता दिए जाने के प्रत्यावेदन दिये जाने के प्रत्यावेदन पर विचार।

विश्वविद्यालय द्वारा नियमित वाहन चालकों को ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन वर्दी उपलब्ध करायी जाती है। वाहन चालकों द्वारा वर्दी दिए जाने के स्थान पर वर्दी भत्ता दिए जाने की मांग प्रत्यावेदन पत्र पर वित्त समिति द्वारा वित्तीय नियमों का हवाला देते हुए असहमति व्यक्त की गयी।

वित्त समिति की बैठक के अन्त में सदस्य वित्त समिति प्रोफेसर मोहपात्रा एवं समिति के अन्य सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु प्रथम बार तैयार किये गये विश्वविद्यालय विद्याशाखाओं के अन्तर्गत विभागवार बजट प्राविधान करने की व्यवस्था की भी सराहना की। नैक प्रत्याययन में विश्वविद्यालय को प्राप्त B⁺⁺ रैंक पर समिति के सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन की सराहना की गयी।

सचिव वित्त समिति द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अध्यक्ष एवं उपस्थित सदस्यों व सभी प्रतिनिधियों का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक को समाप्त किये जाने की घोषणा की।


सचिव,
वित्त समिति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)


अध्यक्ष
वित्त समिति
कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी (नैनीताल)

पत्रांक-यू.ओ.यू./वित्त/वि0स0/2016

दिनांक- 26-12-2022

सेवा में,

01. प्रोफेसर जगदीश प्रसाद, प्रभारी निदेशक उच्च शिक्षा
उत्तराखण्ड (प्रतिनिधि सचिव, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड शासन) सदस्य
02. श्री धर्म सिंह बोनाल,
वित्त नियंत्रक, गो0ब0प0 कृषि एवं प्रोद्योगिकी वि0वि0, पन्तनगर
(प्रतिनिधि सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन) सदस्य
03. प्रोफेसर श्रीकान्त मोहपात्रा,
सम-कुलपति,
इ0गा0राष्ट्रीय मु0वि0वि0, नई दिल्ली (कार्यपरिषद सदस्य)। सदस्य
04. डॉ0 रश्मि पन्त,
कुलसचिव,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय। विशेष आमंत्रित सदस्य
05. श्री विमल कुमार मिश्र, उपकुलसचिव (वित्त)
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। आमंत्रित सदस्य
06. श्रीमती पूनम आर्य, सहायक कुलसचिव (वित्त)
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। आमंत्रित सदस्य

विषय:- विश्वविद्यालय वित्त समिति की 16वीं बैठक में प्रस्तुत किए जाने वाले एकल मद संशोधित कार्यवृत्त प्रेषित किये जाने के सन्दर्भ में।

मद संख्या-16.08 परीक्षा समिति की 16वीं बैठक दिनांक 08.12.2022, परीक्षा समिति के 13वीं एवं 14वीं बैठक के कतिपय (वित्तीय उपाशय) बिन्दुओं पर विचार।

विश्वविद्यालय वित्त समिति की 16वीं बैठक दिनांक 26.12.2022 के मद संख्या-16.08 (7) में परीक्षा अनुभाग द्वारा परीक्षा समिति की 16वीं बैठक दिनांक 08.12.2022, के कार्यवृत्त मद संख्या-16.13 में विश्वविद्यालय के आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा से संबंधित परीक्षा केन्द्रों हेतु परीक्षा अनुभाग द्वारा टंकण त्रुटिपूर्वक अंकित निर्धारित पारिश्रमिक/मानदेय दरें संस्तुति सहित प्रस्तुत की गयीं पर विश्वविद्यालय की 16वीं वित्त समिति द्वारा पूर्व में विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की 17वीं बैठक दिनांक 25.03.2017 एवं वित्त समिति की 10वीं बैठक के अन्य मद प्रस्ताव (च) में पारित दरों का अवलोकन करते हुए सम्यक विचारोपरांत उक्त प्रस्तुत त्रुटिपूर्ण अंकित पारिश्रमिक/मानदेय दरों हेतु विश्वविद्यालय वित्त समिति की 16वीं बैठक संशोधित कार्यवृत्त एकल मद में निम्नवत दरें इस शर्त के अधीन संशोधित की गयीं कि विश्वविद्यालय को Self sustainable

Finance Controller
Uttarakhand Open University
Haldwani (Nainital)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

and self reliant बनाया जाना चाहिए, व्यय किये जाने हेतु आय के साधनों की निरन्तर समीक्षा होनी चाहिए। इस विचार के क्रियान्वयन हेतु सम्यक विचारोपरांत यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त संशोधित दरें तभी लागू होंगी जबकि प्रवेश परीक्षा शुल्क में आनुपातिक रूप से न्यूनतम 10 से 15 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी तथा यह शुल्क संरचना आगामी वर्ष से मा0 कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त ही लागू होंगी।

वित्त समिति 16वीं बैठक मद संख्या-16.08 (7) विश्वविद्यालय की आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा से संबंधित परीक्षा केन्द्रों के निर्धारित मानदेय भुगतान दरों में वृद्धि किये जाने के संबंध में विचार।						
क्र. सं.	मानदेय हेतु अंकित विवरण	परीक्षा समिति की 16वीं बैठक दिनांक 08.12.2022 में प्रस्तावित एवं कार्यवृत्त में संस्तुत दरें		16वीं वित्त समिति द्वारा संस्तुत दरें	10वीं वित्त एवं 12वीं वित्त समिति एवं विश्वविद्यालय कार्यपरिषद में पारित दरें	वित्त समिति की 16वीं बैठक में प्रस्तुत किए जाने वाले एकल मद संशोधित कार्यवृत्त
1.	वरिष्ठ केन्द्र अधीक्षक	₹ 1500/- प्रति	₹ 2000/- प्रति पाली	₹ 2100/- प्रति पाली	₹ 1500/- प्रति	₹ 2100/- प्रति पाली (प्रतिदिन अधिकतम दो पाली)
2.	सहायक केन्द्राध्यक्ष	₹ 1500/- प्रति	₹ 2000/- प्रति पाली	₹ 1800/- प्रति पाली	₹ 1500/- प्रति	₹ 1800/- प्रति पाली (प्रतिदिन अधिकतम दो पाली)
3.	पर्यवेक्षक	₹ 2000/- प्रति	₹ 2500/- प्रति पाली	₹ 2100/- प्रति पाली	₹ 1000/- प्रति	₹ 2100/- प्रति पाली (प्रतिदिन अधिकतम दो पाली)
4.	कक्ष निरीक्षक	₹ 1500/- प्रति	₹ 2000/- प्रति पाली	₹ 1600/- प्रति पाली	₹ 500/- प्रति	₹ 800/- प्रति पाली (प्रतिदिन अधिकतम दो पाली)
5.	तृतीय श्रेणी कार्मिक	₹ 750/- प्रति	₹ 1000/- प्रति पाली	₹ 900/- प्रति पाली	₹ 400/- प्रति	₹ 750/- प्रति पाली (प्रतिदिन अधिकतम दो पाली)
6.	चतुर्थ श्रेणी कार्मिक	₹ 300/- प्रति	₹ 500/- प्रति पाली	₹ 700/- प्रति पाली	₹ 200/- प्रति	₹ 500/- प्रति पाली (प्रतिदिन अधिकतम दो पाली)
7.	बैठने की व्यवस्था/कक्ष किराया	₹ 03/- प्रति छात्र बैठने की व्यवस्था तथा ₹ 05 कक्ष किराया (फर्नीचर विद्युत हेतु प्रति छात्र न्यूनतम ₹ 300/-	यथावत	यथावत	₹ 03/- प्रति छात्र बैठने की व्यवस्था तथा ₹ 05 कक्ष किराया (फर्नीचर विद्युत हेतु प्रति छात्र न्यूनतम ₹ 300/-	यथावत
विश्वविद्यालय के कार्मिकों हेतु						
क्र. सं.	मानदेय हेतु अंकित विवरण	परीक्षा समिति की 16वीं बैठक दिनांक 08.12.2022 में प्रस्तावित एवं कार्यवृत्त में संस्तुत दरें		16वीं वित्त समिति द्वारा संस्तुत दरें	10वीं वित्त समिति एवं विश्वविद्यालय कार्यपरिषद में	वित्त समिति की 16वीं बैठक में प्रस्तुत किए जाने वाले एकल मद संशोधित कार्यवृत्त

Financial Controller
Uttarakhand Open University
Haldwani (Nainital)

कुलपति
उत्तराखण्ड मकान विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल) (उत्तराखण्ड)

					पारित दरें	
1.	हल्द्वानी तथा देहरादून के परीक्षा केन्द्रों हेतु उड़नदस्तों के सदस्य	₹1000/- प्रति	₹1500/- प्रतिदिन (निर्धारित किये जाने वाले परीक्षा केन्द्रों पर लागू होगा)	₹1600/- प्रतिदिन (निर्धारित किये जाने वाले परीक्षा केन्द्रों पर लागू होगा)	₹1000/- प्रति	₹1600/- प्रतिदिन (निर्धारित किये जाने वाले परीक्षा केन्द्रों पर लागू होगा)
2.	केन्द्र पर्यवेक्षक (01 सदस्य)	₹ 2000/- प्रति	₹ 2500/- प्रति दिन	₹ 2100/- प्रतिदिन	₹ 2000/-	₹ 2100/- प्रतिदिन
3.	परीक्षा संचालन के लिए गठित सहायक समिति सदस्य (अधिकतम 04 सदस्य)	₹ 1500/-	₹ 2000/- प्रतिदिन प्रति सदस्य	₹ 1600/- प्रतिदिन प्रति सदस्य	₹ 1500/- प्रति	₹ 1600/- प्रति दिन प्रति सदस्य
4.	तृतीय श्रेणी कार्मिक (अधिकतम 04 सदस्य)	₹ 750/- प्रति	₹ 1000/- प्रतिदिन प्रति सदस्य	₹ 800/- प्रतिदिन प्रति सदस्य	₹ 750/- प्रति	₹ 750/- प्रतिदिन प्रति सदस्य
5.	चतुर्थ श्रेणी कार्मिक (02 सदस्य)	₹ 300/- प्रति	₹500/- प्रति दिन प्रति सदस्य	₹ 700/- प्रतिदिन प्रति सदस्य	₹ 300/- प्रति	₹ 500/- प्रतिदिन प्रति सदस्य
6.	वाहन चालक (आवश्यकतानुसार)	₹400/- प्रति	₹ 700/- प्रति दिन प्रति सदस्य	₹ 700/- प्रतिदिन प्रति सदस्य	₹ 400/- प्रति	₹ 750/- प्रतिदिन प्रति सदस्य

वित्त समिति की 16वीं बैठक के मद संख्या-16.08 के अन्य बिन्दु पर समिति की यथावत संस्तुति विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की 36वीं बैठक में विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित।

माननीय कुलपति जी से प्राप्त निर्देश क्रम में समस्त सम्मानित सदस्यों को विश्वविद्यालय वित्त समिति की 16वीं बैठक में प्रस्तुत किए जाने वाले एकल मद संशोधित कार्यवृत्त प्रेषित किया जा रहा है। समस्त सदस्यगणों से अनुरोध है कि अपनी सहमति/असहमति से विश्वविद्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीया



कुलपति

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)



(आभा गर्खाल)

सदस्य, वित्त समिति

Uttarakhand Open Univ

Haldwani (Nainital)